क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	माह कोड	1.4.95 तक खर्च न की गई विधियां	केन्द्रीय रीलीज	राज्य मैकिंग अंश	कुल (केन्द्र राज्य)	कुल उपलब्ध निधियां	खर्च	उपलब्ध निधियों का %ख
20.	तमिलनाडु	12	1517.43	4880.00	1220.00	6100.00	7617.43	3216.33	42.22
21.	त्रिपुरा	12	0.00	1040.00	260.00	1300.00	1300.00	1256.83	96.68
22.	उत्तर प्रदेश	12	7689.35	6660.00	1665.00	6325.00	16014.35	5629.28	53.08
23.	पश्चिम बंगाल	12	2849.53	6080.00	1520.00	7600.00	10449.53	6175.69	59.10
24.	अण्ड. निको.	12	5.48	40.00	0.00	40.00	45.48	1.72	3.78
25.	दादर व नगर हवेली	12	20.33	30.00	0.00	30.00	50.33	4.72	9.38
26.	दमन व द्वीप	9	1.54	20.00	0.00	30.00	21.84	0.47	2.18
27.	लक्षद्वीप	12	114.06	100.00	0.00	100.00	214.04	29.91	13.97
	अखिल भारत		53981.25	100199.00	25002.25	125201.25	379182.50	45737.02	53.43

उर्वरक के उत्पादन का लक्ष्य

545. **श्री नागमणि** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1995-96 के दौरान उर्वरकों के उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिये जाने की सम्भावना है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह विश्वास है कि वर्ष 1995-96 के दौरान किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की डिलीवरी कर देगी,

(ग) पिछले तीन वर्षो की तुलना में उर्वरकों के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, और

(घ) वर्ष 1994-95 के दौरान देश में यूरिया की मांग और आपूर्ति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

रसायना और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) वांछित सूचना नीचे दी गई है।

	नाइट्रोजन और फास्फेट का उत्पादन (पोषक लाख टन में)	पूर्ववर्ती वर्ष में वृद्धि दर का प्रतिशत
1992-93	97.4	
1993-94	90.4	(-) 7.2
1994-95	104.4	15.5
1995-96 (अनुमानित)	113.3	8.5

* 31.1.1996 तक वास्तविक उत्पादन और फरवरी-मार्च, 1996 के लिए अनुमानित उत्पादन।

(घ) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मांग के राज्यवार ब्यौरे जैसा कि 1994-95 के दौरान यूरिया की संचयी उपलब्धता और मौसमवार आवंटन दिखाया गया है सलंग्न विवरणपत्र में दिए गए हैं।

विवरण

1994-95 **के दौरान देश में यूरिया की उपलब्धता और ईसीए का राज्यवार आवंटन**

("000" **मी0 टन**)

राज्य का नाम	**खरीफ**, 94 **योग ईसीए का आवंटन**	30.09.94 **तक संचयी उपलब्धता**	**रबी** 94-95 **योग ईसीए का आवंटन**	30.09.95 **तक संचयी उपलब्धता**
आन्ध्र प्रदेश	907.04	887.20	1102.97	1147.62
कर्नाटक	421.55	414.36	351.35	369.72
केरल	73.08	65.43	51.92	55.51
पाण्डिचेरी	0.43	10.02	13.78	12.15
तमिलनाडु	214.50	250.45	510.40	518.58
अण्डमान एण्ड निकोबार	0.55	0.41	0.44	0.00
गुजरात	387.02	423.68	537.30	560.43
मध्य प्रदेश	608.82	601.79	550.50	552.53
महाराष्ट्र	1008.70	966.08	666.60	676.09
राजस्थान	363.00	414.34	539.50	543.26
गोवा	3.08	3.06	2.20	1.41
दमन एण्ड दीव	0.22	0.17	0.14	0.09
दादर एण्ड नगर हवेली	1.29	1.29	0.26	0.25
हरियाणा	462.00	473.48	643.50	669.39
पंजाब	878.42	914.40	1122.00	1159.51
उत्तर प्रदेश	1765.50	1814.93	2603.70	2604.59
हिमाचल प्रदेश	20.93	23.83	22.00	23.93
जम्मू एण्ड कश्मीर	58.15	57.32	24.16	21.02
दिल्ली	8.67	7.64	19.79	21.76
चण्डीगढ़	0.32	0.32	0.44	0.44
बिहार	569.88	519.87	601.08	576.09
उड़ीसा	214.89	167.94	108.60	110.63
पं0 बंगाल	337.77	347.60	552.83	553.21
नई स्टेटस	94.53	76.58	83.68	89.32
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.12	0.12
अखिल भारत योग:	8381.14	8442.19	10109.26	10274.55

अन्य पिछड़े वर्गो को प्रथम श्रेणी के पदों में प्रोन्नति में आरक्षण दिया जाना

546. **श्री रामजीलाल** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रथम श्रेणी के पदों में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण का प्रावधान करते समय यह कहा था कि यह लाभ अन्य पिछड़े वर्गो को भी दिया जायेगा,

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है,